

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****आपराधिक विविध रिट याचिका सं०.- 5654 वर्ष 2026**

वंदना यादव और एक अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, लखनऊ एवं अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

आवेदक (गण)के अधिवक्ता : गिरधारी लाल यादव, निखिल यादव

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : श.अधि.

न्यायालय सं०. - 9**माननीय न्यायमूर्ति, रजनीश कुमार****माननीय न्यायमूर्ति, राजीव भारती**

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना।
2. प्रस्तावित आदेश को ध्यान में रखते हुए, विपक्षी सं०. 4 को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
3. यह रिट याचिका प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं को परेशान न करें और उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में दखल न देने का निर्देश देने के लिए परमादेश की रिट जारी करने हेतु दाखिल की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने बताया है कि दोनों याचिकाकर्ता बालिग हैं और उन्होंने 06.06.2026 को लखनऊ के अलीगंज, सेक्टर H (हर्ष विहार पुरनिया) के आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार अपनी स्वतंत्र इच्छा से विवाह किया है। आर्य समाज मंदिर से जारी उनके विवाह प्रमाण-पत्र की प्रति रिट याचिका के साथ अनुबंध संख्या 2 के रूप में संलग्न है। अपनी आयु के संबंध में, याचिकाकर्ता संख्या 1 ने अपने हाई स्कूल प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न की है, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 2 ने रिट याचिका के अनुबंध संख्या 2 के रूप में अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की प्रति संलग्न की है। वे एक खुशहाल और शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन बिता रहे हैं। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आज तक कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की गई है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे निवेदन किया कि याचिकाकर्ता अपनी शादी का पंजीकरण कराने की प्रक्रिया में हैं और इसे जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे। हालाँकि, विपक्षी संख्या 4 उनकी शादी से नाखुश होकर, संबंधित पुलिस स्टेशन की मदद से उनके वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ खड़ी कर रहा है। इसलिए, उन्होंने अपनी शिकायतों के निवारण के लिए यह रिट याचिका दायर कर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने **लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, 2006 (5) SCC 475** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित कानून पर भरोसा किया है। निर्णय का पैरा 17 इस प्रकार है:-

“17. यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, और एक बार जब कोई व्यक्ति बालिग हो जाता है तो वह या वह जिससे चाहे, उससे शादी कर सकता/सकती है। अगर किसी लड़के या लड़की के माता-पिता ऐसी अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक शादी को मंजूरी नहीं देते हैं, तो वे ज़्यादा से ज़्यादा यह कर सकते हैं कि वे अपने बेटे या बेटी से सामाजिक संबंध तोड़ लें; लेकिन वे धमकी नहीं दे सकते, हिंसा नहीं कर सकते या हिंसा के लिए उकसा नहीं सकते, और न ही वे उस व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं जिसने ऐसी अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक शादी की है। हम,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अतः, निर्देश देते हैं कि देश भर के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यदि कोई बालिग लड़का या लड़की किसी अन्य जाति या धर्म के बालिग व्यक्ति के साथ विवाह करता है, तो उस जोड़े को किसी के द्वारा परेशान न किया जाए और न ही उन्हें धमकियां दी जाएं या हिंसा का शिकार बनाया जाए जो कोई भी ऐसी धमकियां देता है, प्रताड़ित करता है या स्वयं अथवा किसी के उकसाने पर हिंसात्मक कृत्य करता है, पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू करके उसे दंडित किया जाता है और कानून के अनुसार ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”

6. याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षण का भी अनुरोध किया है, जो अपनी गरिमा के साथ अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
7. निर्देशों के अनुसार, विद्वान AGA का कहना है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 के संबंध में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है, इसलिए, वह अपना बयान दर्ज कराने के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन में उपस्थित हो सकती हैं।
8. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 आज से दो सप्ताह के भीतर अपना बयान दर्ज कराएंगी।
9. अतः, याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि विपक्षीय याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन और स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें।
10. हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की आयु या कथित विवाह की सत्यता/वैधता का न तो निर्धारण किया है और न ही उस पर कोई निर्णय दिया है।
11. यदि इस मामले में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है, तो यह आदेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(राजीव भारती, न्यायमूर्ति) (रजनीश कुमार, न्यायमूर्ति)

जून 10, 2026

श्रवण

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।